

—: संशोधित आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक राजपत्रित/एटी/प035/2017/317 दिनांक 13.09.17 में क्रम संख्या 7 पर अंकित डॉ० दिगविजय सिंह राव/श्री कल्याण सिंह राव में महिला के स्थान पर पुरुष एवं क्रम संख्या 8 पर अंकित डॉ० प्रिती हाडा/श्री बलवरी सिंह हाडा में पुरुष के स्थान पर महिला पढा जावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प035/2017/ 328

दिनांक : 14/09/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-संबंधित।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी संबंधित।
6. संबंधित चिकित्सकों को पालनार्थ।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट/संबंधित की ई-मेल आई.डी. पर डलवाना सुनिश्चित करावें।
8. निजि/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।